लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 395
दिनांक 02.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा बुनकर

395. श्रीमती मालविका देवीः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उन मौजूदा हथकरघा बुनकरों, जो अपना कारोबार बंद कर रहे हैं, को सहायता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नई पीढ़ी के बुनकरों को हथकरघा बुनाई को एक व्यवहार्य पेशे के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई प्रोत्साहन, प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ग) क्या सरकार का उन वस्त्र उद्योगपतियों को कोई राहत या मुआवजा देने का विचार है जिन्हें टैरिफ दरों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्थितियों में परिवर्तन के कारण घाटा हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, विशेषकर अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में भारतीय वस्त्रों और परिधानों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और अब तक इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख): इस मंत्रालय को बुनकरों के काम बंद करने की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि, वस्त्र मंत्रालय पूरे देश में हथकरघा को बढ़ावा देने और नई पीढ़ी के बुनकरों सहित हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए (i) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और (ii) कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) जैसी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं के तहत, पात्र हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को कच्चा माल, उन्नत करघे और सहायक उपकरण की खरीद, सोलर लाइटिंग यूनिट, वर्कशेड के निर्माण, कौशल, उत्पाद और डिज़ाइन विकास, तकनीकी और सामान्य अवसंरचना, मार्केटिंग, बुनकर मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण, सामाजिक सुरक्षा, विकट परिस्थिति में पुरस्कार विजेता बुनकरों को भुगतान, बुनकरों के बच्चों को स्कॉलरशिप आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में देश भर में प्रचालित 29 बुनकर सेवा केंद्रों (डब्ल्यूएससी) और 6 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईएचटी) के माध्यम से समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना) के तहत हथकरघा कामगारों/बुनकरों के लिए बुनाई, रंगाई, छपाई, डिजाइनिंग आदि तकनीकी क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित कौशल उन्नयन प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।

(ग) और (घ): यह ध्यान में रखते हुए कि यूएस के प्रमुख टेक्सटाइल सेगमेंट पर टैरिफ लगे हुए हैं, वस्त्र मंत्रालय अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों को भारत से वस्त्र, अपैरल और मेड अप्स के निर्यात की नियमित आधार रूप से निगरानी कर रहा है। मंत्रालय टेक्सटाइल और अपैरल वैल्यू चेन के स्टेकहोल्डर्स के साथ नियमित तौर पर परामर्श कर रहा है। इस संबंध में सरकार द्वारा निम्मलिखित कदम उठाए गए हैं।

सरकार ज़ीरो-रेटेड एक्सपोर्ट के सिद्धांतों के आधार पर, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने हेतु अपैरल/गारमेंट्स और मेड-अप्स के लिए राज्य और केंद्रीय कर और लेवी (आरओएससीटीएल) योजना कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, जो वस्त्र उत्पाद आरओएससीटीएल योजना के तहत कवर नहीं होते हैं, उन्हें दूसरे गैर-वस्त्र उत्पादों के साथ निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और कर छूट के तहत कवर किया जाता है।

भारत ने टैरिफ और नॉन-टैरिफ रुकावटों को कम करके भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ 15 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और 6 अधिमान्य व्यापार समझौतों (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, साथ ही, वस्त्र उत्पादों की एक बड़ी रेंज सहित भारतीय सामानों के लिए अधिमान्य बाजार पहुंच को भी सक्षम बनाया है।

इसके अलावा, वस्त्र मंत्रालय ने 40 देशों के लिए एक बड़ी मार्केट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसमें भारतीय वस्त्र निर्यात के लिए ज़्यादा संभावना वाले वैश्विक स्थानों की पहचान की गई है।

इसके अलावा, कैबिनेट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंज़ूरी दी है, जिसे वस्त्र मंत्रालय ने मिलकर एक फ्रेमवर्क के तौर पर डिज़ाइन किया है। इसका उद्देश्य पॉलिसी सपोर्ट, व्यापार सुविधा, मार्केट प्रमोशन, संस्थाओं की मज़बूती और क्षमता निर्माण को एक साथ लाना है, ताकि वस्त्र क्षेत्र सहित देश से लगातार निर्यात वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके।

*****